

// कार्यालय: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (म0प्र0) //// परिपत्र //


क्रमांक २३ / आपदा प्रबंधन / 2020 अलीराजपुर, दिनांक १०/०६/२०२०

कोविड-19 के बढ़ते संकमण को देखते हुये इस जिला स्थापना पर मुख्यालय अलीराजपुर एवं तहसील न्यायालय जोबट में पदस्थ समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को पूर्व में जारी निर्देशों के कम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी कर्मचारीगण सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) के संबंध में पूर्व में दिये गये निर्देशों का पालन करें, मास्क/फेस कवर लगाकर ही कर्तव्य पर उपस्थित होंगे तथा न्यायालय में उपस्थित रहने की संपूर्ण अवधि के दौरान मास्क/फेस कवर लगाये रखेंगे साथ ही कोविड-19 के संकमण से बचाव के संबंध में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

किसी भी कर्मचारी में कोरोना वायरस के लक्षण, जैसे कि सर्दी, खॉसी, बुखार एवं श्वास लेने में परेशानी प्रतीत होने पर वह इसकी सूचना तत्काल कार्यालय को देंगे तथा इस अवस्था में अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होंगे, संबंधित कर्मचारी उक्त लक्षण छिपाये बिना तत्काल चिकित्सक से अपना परीक्षण कराकर इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय को सूचित करेंगे एवं चिकित्सक द्वारा दी गई सलाह का पालन करेंगे।

समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि पूर्व अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। न्यायालय समय के पश्चात आकस्मिक निरीक्षण के समय यदि कर्मचारी अपने आवास पर उपलब्ध नहीं पाया जाता है अथवा मुख्यालय से बाहर जाना पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।



जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीराजपुर म.प्र.

पृ० क्र. ६२५/आपदा प्रबंधन/2020, अलीराजपुर, दिनांक १०/०६/२०२०
प्रतिलिपि :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण अलीराजपुर/जोबट की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त अनुभाग प्रभारी अधिकारी, न्यायालय अलीराजपुर/जोबट।
4. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग अलीराजपुर / जोबट की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायालय के सूचना पटन पर चर्चा की जावे।
5. प्रभारी अधिकारी / सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय अलीराजपुर की ओर समस्त न्यायिक अधिकारीगण / कर्मचारीगण को ई-मेल से सूचित किये जाने हेतु तथा जिला न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
6. अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, अलीराजपुर/जोबट की ओर सूचनार्थ।
7. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, लोक अभियोजक / अपर लोक अभियोजक अलीराजपुर/जोबट।
8. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
9. जिला नाजिर/नायब नाजिर अलीराजपुर/जोबट की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

V. nod Cemar
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 अलीराजपुर (म0प्र0)